राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

—::परिपत्र::—

मुख्यालय को प्रेषित मासिक लेखों की संवीक्षा (Scrutiny) के दौरान यह देखने में आया है कि कतिपय आहरण—वितरण अधिकारी जानबूझकर विभिन्न मदों में स्वीकृत बजट से अधिक राशि व्यय कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे प्रकरण भी सामने आये हैं जिनमें किसी लेखाशीर्ष में स्वीकृत बजट से अधिक राशि व्यय कर दी गई और यह कृत्य प्रकट नहीं हो, इस उद्देश्य से अतिरिक्त व्यय की गई राशि को किसी अन्य लेखाशीर्ष में डेबिट करके लेखों में इन्द्राज किया गया।

उक्त कृत्य जानबूझकर की गई वित्तीय अनियमितता है। अतः इन प्रकरणों को गबन (Embezzlement) की श्रेणी में मानते हुए संबंधित के विरूद्ध राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी अनु.कार्यवाही एवं अपील विनियम, 1976 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

आवासन आयुक्त

क्रमांक :—एफ 2(8)संकलन/एम.ए./80/618 दिनांक :—19/10/12

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :—

1. निजी सचिव—आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता, रा॰ आ॰ बोर्ड, जयपुर।
2. अति॰ मुख्य अभि॰, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/पी॰एण्ड एम॰, जयपुर/जोधपुर रा॰ आ॰ बोर्ड।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी (भुगतान) रा॰ आ॰ बोर्ड, जयपुर।
4. उप आवासन आयुक्त, रा॰ आ॰ बोर्ड, वृत्त प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जयपुर/उदयपुर/जोधपुर वृत प्रथम/द्वितीय/कोटा/अलवर/बीकानेर।
5. आवासीय अभियन्ता, रा॰ आ॰ बोर्ड, खण्ड..............................
6. ए॰ सी॰ पी॰ रा॰ आ॰ बोर्ड जयपुर

वित्तीय सलाहकार